पत्रांक--10 न0वि0 / विविध--18 / 2022-- 1865 / न0वि0आ0वि0

उपसचिव श्री ... अवलोकनार्थ

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राहुल बर्मन,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी--सह--
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक--13/07/2022

विषयः-- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रेक्षक के रूप में तैनात पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में आयोग के स्तर से नियुक्त किये जानेवाले प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करने के क्रम में वित्त विभाग के परामर्श से सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :--

1. अपने वर्तमान पदस्थापन के प्रमण्डल के भीतर प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाने पर उक्त पदाधिकारी को एक चरण के लिए रूपये 5500.00 (पाँच हजार पाँच सौ रूपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए रूपये 850.00 (आठ सौ पचास रूपये) यात्रा भत्ता अग्रिम अनुमान्य होगा। साथ ही प्रमण्डल से बाहर प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाने पर एक चरण के लिए रूपये 7000.00 (सात हजार रूपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए रूपये 850.00 (आठ सौ पचास रूपये) यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।

2. प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम, जिस जिले में वे पदस्थापित हैं, उस जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)--सह--जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

3. अगर कोई प्रेक्षक राज्य सचिवालय अथवा पटना स्थित उसके संलग्न कार्यालयों / सरकारी उपक्रमों में पदस्थापित हों तो उनका अग्रिम जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4. उक्त अग्रिम का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष--2015--निर्वाचन--उप मुख्य शीर्ष--00--लघु शीर्ष--109--पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार--उपशीर्ष--0001--नगर निगमों, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों का चुनाव, विपत्र कोड संख्या- 48--2015001090001 के अन्तर्गत दिये गये आवंटन से किया जायेगा।

अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10 न0वि0/विविध–18/2022– 1865 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–13/07/2022
प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10 न0वि0/विविध–18/2022– 1865 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–13/07/2022
प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1778 दिनांक 16.05.2022 के प्रसंग में/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1744 /न0वि0आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राहुल बर्मन,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक– 29/06/2022

विषयः–नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किये जानेवाले वाहनों के लिए दर निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 के लिए अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा भुगतान हेतु परिवहन विभाग, बिहार के पत्रांक 6204 दिनांक 31.08.2020 द्वारा दर निर्धारण संबंधी पत्र निर्गत किया गया था।

2. सम्यक विचारोपरान्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान विगत बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के लिए निर्धारित दर के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत् है :–

क्रमांक	वाहनों का प्रकार	दैनिक मुआवजा का दर
1	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	रूपये 2850.00
2	बस (40 से 49 सीट)	रूपये 2600.00
3	मिनी बस (23 से 39 सीट)	रूपये 1950.00
4	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/टेम्पो/ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	रूपये 1500.00
5	छोटी कार (सामान्य)	रूपये 800.00
6	छोटी कार (वातानुकूलित)	रूपये 900.00
7	ट्रैकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन	रूपये 900.00
8.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	रूपये 1000.00
9	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	रूपये 1200.00
10	जाइलो/स्कार्पियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित)	रूपये 1600.00
11	इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	रूपये 1700.00
12	विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	रूपये 750.00
13	ऑटो रिक्शा	रूपये 500.00
14	मोटर साईकिल	रूपये 250.00
15	भारी मालवाहक (क) सकलयान भार 12000–16200 कि0ग्रा0 (छः चक्का यान) (ख) सकलयान भार 16201–25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर) (ग) सकलयान भार 25001 कि0ग्रा0 एवं उसके अधिक (दस चक्का से अधिक)	 रूपये 1950.00 रूपये 2470.00 रूपये 2600.00

16	मध्यम मालवाहक /मिनी ट्रक सकलयान भार (7501–11999 कि0ग्रा0)	रूपये 1300.00
17	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 तक (ख) सकलयान भार 3001 से 7500 कि0ग्रा0 डिलीवरी भान/समकक्षीय	 रूपये 715.00 रूपये 1100.00
18	ट्रैक्टर–ट्रेलर	रूपये 800.00
19	ई–रिक्शा/e-cart (without fuel)	रूपये 600.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र की प्रति सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को भी उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन,

28/6/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1744/न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 29/06/2022

प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/22

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1743 /न0वि0आ0वि0, दिनांक–

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2325 दिनांक 09.04.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी निर्णय संसूचित है।

2. सम्यक विचारोपरान्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2325 दिनांक 09.04.2021 के प्रावधान को अंगीकृत किया जाता है।

3. उक्त अंगीकृत प्रावधान नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से प्रभावी होंगे।

4. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राहुल बर्मन)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1743 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–29/06/2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1743 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–29/06/2022

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1745 /न0वि0आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राहुल बर्मन,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम।
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–29/06/2022

विषयः–नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले कर्मियों को अग्रिम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान वित्त विभाग से परामर्शित निम्नलिखित सारणी में अंकित दरों के अनुरूप किये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :–

क्रमांक	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य लिए भुगतान दर	मतदान/मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1	पीठासीन पदाधिकारी	तीन	रूपये 500/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 500/–प्रतिदिन
2	मतदान अधिकारी एक एवं दो	तीन	रूपये 375/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 375/–प्रतिदिन
3	मतदान अधिकारी (A), (B) एवं (C)/ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	तीन	रूपये 250/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 250/–प्रतिदिन
4	सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दंडाधिकारी/गश्ती दल दंडाधिकारी	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन	एकमुश्त	रूपये 2000/–एकमुश्त
5	सरकारी चालक	---	---	तीन	रूपये 375/–प्रतिदिन
6	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन
7	मतगणना सहायक	एक	रूपये 375/–प्रतिदिन	एक	रूपये 375/–प्रतिदिन
8	मतगणना अनुसेवक	एक	रूपये 250/–प्रतिदिन	एक	रूपये 250/–प्रतिदिन

9	माइक्रो प्रेक्षक (मतदान हेतु)	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन	एकमुश्त	रूपये 2000/–
10	माइक्रो प्रेक्षक (मतगणना हेतु)	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन	एकमुश्त	रूपये 500/–
11	पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक	एक	रूपये 500/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 500/–प्रतिदिन
12	सहायक निरीक्षण/हवलदार/सिपाही	एक	रूपये 375/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 375/–प्रतिदिन
13	चौकीदार/दफादार/दलपति/एन0सी0सी0 कैडेट/स्कॉट गाईड्स	एक	रूपये 250/–प्रतिदिन	तीन	रूपये 250/–प्रतिदिन
14	गृह रक्षक	––	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता	––	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता
15	राज्य स्तरीय/प्रमण्डल स्तरीय/जिला/अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक	––	––	एक मुश्त	रूपये 2000/–एकमुश्त
16	पर्दानशी महिलाओं की पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी	––	––	एक दिन	रूपये 250/–

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

2. सुरक्षित रखे गये कर्मियों को, निर्वाचन कर्तव्य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किए जाने की स्थिति में, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

3. मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों के भोजन/नाश्ते की व्यवस्था हेतु अधिकतम रूपये 250.00/–(दो सौ पचास रूपये) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो वहाँ रूपये 250.00/–(दो सौ पचास रूपये) मात्र की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।

4. मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आवंटन से किया जायेगा।

5. पोल्ड ई0वी0एम0 एवं मतपेटिका प्राप्ति केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम का भुगतान उन्हीं दरों पर भुगतान किया जायेगा, जिनपर बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर किया गया हो। यदि कोई संशय हो तो इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

6. यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गयी राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1011 दिनांक 17.02.2009 के अनुसार किया जायेगा।

इसकी सूचना कृपया सभी संबंधितों को दे दी जाय।

विश्वासभाजन,

28/6/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–10/न0वि0/निर्वाचन–05/2022– 1745 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–29/06/2022

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/22

सरकार के उप सचिव।